भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-174

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव/हिंसा

†174. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समता संवर्धन) विनियम, 2012 के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रकोष्ठों का गठन करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे प्रकोष्ठों का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार कॉलेज/विश्वविद्यालय परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव की घटनाओं का आंकड़ा रखती है;

(ङ.) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन घटनाओं का महाविद्यालयवार/विश्वविद्यालयवार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा भेदभाव का सामना करने वाले छात्रों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार जाति-आधारित भेदभाव से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए कोई अतिरिक्त तंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी 48 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

(घ) से (झ): शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के द्वारा शासित होते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जाता है कि संकाय सदस्य और अधिकारी भेदभावपूर्ण कृत्यों से बचें, वेबसाइटों या शिकायत रजिस्टरों के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए तंत्र स्थापित करें, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें और साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों, शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों का समाधान करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जाति-आधारित भेदभाव को रोकने और वंचित समूहों से आने वाले छात्रों के हितों की रक्षा के लिए छात्र शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) की स्थापना और लोकपाल की नियुक्ति, समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना, परामर्श केंद्रों के माध्यम से परामर्श सहायता के प्रावधान और रैगिंग को रोकने और यौन-उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश सहित कई उपाय किए हैं।

*****